राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 40(54)ग्रावि/नरेगा/अपूर्ण कार्य/2013/56044 जयपुर, दिनांक : 22 NOV 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर स्थाई डिस्प्ले बोर्ड लगाने बाबत।**

सदंर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 27.07.2017 एवं पत्रांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./56002/2014 दिनांक 13.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये गये तथा प्रगतिरत कार्यों पर स्थाई डिस्प्ले बोर्ड लगाये जाने बाबत निर्देशित किया गया था। पत्र दिनांक 27.07.2017 के साथ मॉडल तकमीने भी प्रेषित किये गये हैं।

उक्त पत्रों की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. योजनान्तर्गत प्रगतिरत कार्यों एवं ऐसे कार्य जो कि पूर्ण हो चुके हैं परन्तु एमआईएस पर अभी तक पूर्ण नहीं दर्शाये गये हैं, पर डिस्प्ले बोर्ड निर्माण का कार्य स्वीकृत तकमीना पर चार्ज करते हुए बनाये जावें।
2. पूर्ण हो चुके कार्यों जो कि एमआईएस पर भी पूर्ण दर्शा दिये गये हैं, पर स्थाई डिस्प्ले बोर्ड योजनान्तर्गत अनुमत प्रशासनिक व्यय से निर्मित कराये जावें।
3. वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं इसके पश्चात् पूर्ण हुए एवं प्रगतिरत रहे समस्त कार्यों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाये जाने अनिवार्य हैं।
4. डिस्प्ले बोर्ड पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 07.04.2017 जो कि आपको पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है, में वर्णित सभी पैरामीटर अंकित किये जावें।

उक्त निर्देशों की पालना दिनांक 10.12.2017 तक आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे।

भवदीय
22/11/17
(रोहित कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परि.निदे. एवं संयुक्त ~~शासन सचिव~~, ईजीएस

Scanned by CamScanner